<u>न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग।</u>

फौजदारी वाद संख्या 410/2026

राज्य बनाम जीतेन्द्र सिंह

दिनांक 13.07.2026 पत्रावली पेश पर वाद पुकारा गया। अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शुभग भट्ट न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्मस्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जुर्म इकबाल किया गया है। अतः जुर्म इकबाल बयान के आधार पर अभियुक्त को मोटर यान अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत मुवलिग 1000/—रूपये (एक हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या 4061/UHC/IT/XXXI/E-PAY/2024 Dated: 01-07-2025 के अनुपालन में अभियुक्त की ओर से e-Pay Online System के माध्यम से अर्थदण्ड की धनराशि मुवलिग 1000/—रूपये (एक हजार रूपये) जमा की गयी। Transaction Id की प्रति अभियुक्त को प्रदान की गयी।

वाहन से सम्बन्धित मूल दस्तावेज, यदि कोई हो तो अभियुक्त को वापस किये जाए। तद्नुसार पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(अमित कुमार)
सिविल जज (सी0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।